


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना**

हैदराबाद, 15 अप्रैल, 2015

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015**

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/93/2015.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 6ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999

का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक

और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'शेयरों के अंतरण' में वर्तमान शेयरधारक से किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों का

अंतरण शामिल है तथा इसमें इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण और नया निर्गम शामिल है जिनके कारण किसी बीमा कंपनी की शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन हो।

- (घ) 'शेयरधारिता के स्वरूप' से शेयरधारिता का वह स्वरूप अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अथवा परवर्ती समय में अनुमोदित किया गया हो।
- (ङ) 'भारतीय प्रवर्तक' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में 'भारतीय प्रवर्तक' के रूप में परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (च) 'निवेशक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए अन्यथा पात्र है तथा इसके अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में यथापरिभाषित विदेशी निवेशक शामिल है।
- (छ) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में, अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II : शेयरों का अंतरण

अंतरण का पंजीकरण :

3. किसी बीमा कंपनी के शेयरों के अंतरण अथवा इक्विटी पूँजी के निर्गम, जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारिता में परिवर्तन हो जाए, का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जहाँ,

- क. अंतरण के बाद बीमा कंपनी के शेयरों में अंतरिती की कुल चुकता धारिता उस कंपनी की चुकता पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो, अथवा
- ख. किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के घटकों, अथवा एक ही प्रबंधन के अधीन निगमित निकाय द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से अंतरित किये जाने के लिए अभीष्ट शेयरों का अंकित मूल्य बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक हो,
- जब तक कि उपर्युक्त अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो।

अंतरण के लिए आवेदन :

4. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन फार्म ए में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज और फार्म बी में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अंतरिती के ब्योरे प्रस्तुत किये जाएँगे तथा प्रस्तावित अंतरिती का पूरा विवरण, उसकी वित्तीय क्षमता, निधियों के स्रोत जहाँ से प्रस्तावित निवेश करना अभीष्ट हो, तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

हितकारी शेयरधारिता :

5. शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तावित शेयरधारक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि शेयरों का धारण अपने स्वयं के हित के लिए अथवा अन्यो की ओर से नामिती के रूप में, चाहे संयुक्त रूप से हो अथवा पृथक् रूप से, करना प्रस्तावित है तथा नामिती के रूप में धारण की स्थिति में हिताधिकारी स्वामी अथवा स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता एवं प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा का

स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

समुचित सावधानी :

6. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए(4) के उपबंधों के अधीन शेरों के अंतरण के पंजीकरण के लिए अथवा प्रस्तावित अंतरिती को शेरों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्राधिकरण प्रस्तावित अंतरिती के संबंध में अपेक्षित रूप में समुचित सावधानी बरतेगा।

अध्याय III : अनुमोदन के लिए शर्त

भारतीय प्रवर्तक :

7. भारतीय प्रवर्तक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में किसी बीमा कंपनी में शेयर धारित करेंगे।
बशर्ते कि प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान करते समय प्रवर्तकों के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित करेगा जो वह उपयुक्त समझेगा जिनमें निम्नलिखित मद्दे शामिल होंगी परंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी :
- न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (लॉक इन पीरियड);
 - आवधिक अंतरालों पर अपनी शेयरधारिता के अनुपात में अथवा अन्य प्रकार से अतिरिक्त पूँजी लगाना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमा कंपनी हर समय विनियामक शोधक्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है; तथा
 - उक्त बीमा कंपनी को आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अधीन आर3 प्रदान करते समय प्रवर्तकों पर लागू की गई सभी विनियामक शर्तों का अनुपालन करना।

विदेशी निवेशक :

8. विदेशी निवेशक भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार किसी बीमा कंपनी में शेयर धारित करेंगे।
बशर्ते कि प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान करते समय ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकेगा जो वह उपयुक्त समझेगा जिसमें निम्नलिखित मद्दे शामिल होंगी परंतु वे इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी-
- न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (लॉक इन पीरियड);
 - आवधिक अंतरालों पर अपनी शेयरधारिता के अनुपात में अतिरिक्त पूँजी लगाना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमा कंपनी हर समय विनियामक शोधक्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है; तथा
 - उक्त बीमा कंपनी को आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अधीन आर3 प्रदान करते समय प्रवर्तकों पर लागू की गई सभी विनियामक शर्तों का अनुपालन करना।

भारतीय निवेशकों की धारिताओं संबंधी उच्चतम सीमा :

9. विदेशी निवेशकों को छोड़कर अन्य निवेशक किसी बीमा कंपनी में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शेयर धारित करेंगे
- जहाँ किसी बीमा कंपनी में एक अथवा उससे अधिक निवेशक हों, वहाँ कोई भी निवेशक ऐसी बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं करेगा।
 - उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट रूप में सभी निवेशक संयुक्त रूप से बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेंगे।

अर्थनिर्णय :

10. इन विनियमों का अर्थनिर्णय प्राधिकरण का होगा तथा सभी विषयों पर प्राधिकरण के निर्णय सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होंगे।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असा./161/25/15]

फार्म ए

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए के अनुसार शेयरों के अंतरण के अनुमोदन के लिए आवेदन

1. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अनुसार (बीमा कंपनी का नाम) को (जीवन बीमा / साधारण बीमा / स्वास्थ्य बीमा / पुनर्बीमा) व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र सं. (दिनांक) को प्रदान किया गया है।
2. पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करते समय उक्त बीमा कंपनी की शेयरधारिता निम्नानुसार थी

क्रम सं.	प्रवर्तक / शेयरधारक	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरधारिता का प्रतिशत	लॉक-इन-पीरियड (वर्षों की संख्या)	लॉक-इन पीरियड समाप्त होने की तारीख
1.				
2.				
3.				

3. बीमा कंपनी के पंजीकरण के उपरांत, प्राधिकरण के पत्र सं. दिनांक (जहाँ लागू हो) के अनुसार प्राधिकरण का अपेक्षित अनुमोदन प्रदान करने के बाद के नाम प्रवर्तकों / निवेशकों के शेयर अंतरित किये गये।

उपर्युक्त शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय प्राधिकरण ने इसके नीचे दिये गये विवरण के अनुसार पदधारी अंतरिती (अंतरितियों) पर अवरुद्धता अवधि (लॉक इन पीरियड) निर्धारित की थी

क्रम सं.	प्रवर्तक / शेयरधारक	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरधारिता का प्रतिशत	लॉक-इन-पीरियड (वर्षों की संख्या)	लॉक-इन पीरियड समाप्त होने की तारीख

4. (बीमा कंपनी का नाम) नीचे दिये गये विवरण के अनुसार इसके द्वारा (i) प्रवर्तक (प्रवर्तकों) / निवेशक (निवेशकों) द्वारा धारित शेयरों के अंतरण के पंजीकरण और / या (ii) निजी स्थानन के माध्यम से अधिमानी आधार पर शेयरों के आबंटन के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए(4)(बी)(ii) / (iii) के अनुसार प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करती है :

क्रम सं.	वर्तमान प्रवर्तक / निवेशक	धारित शेयरों की संख्या	वर्तमान शेयर-धारिता का प्रतिशत	नये प्रवर्तक / निवेशक	अंतरण / आबंटन के बाद धारित शेयरों की संख्या	अंतरण / आबंटन के बाद शेयरधारिता का प्रतिशत

प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद हम सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे जिनमें कारपोरेट विधियाँ और जैसी लागू हों कोई भी अन्य शर्तें शामिल होंगी परंतु ये अपेक्षाएँ उन्हीं तक सीमित नहीं होंगी।

स्थान :

दिनांक :

(हस्ताक्षर)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष

(बीमा कंपनी का नाम)

180057/15-2

संलग्न : फार्म बी

फार्म-बी

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	प्रस्तावित अंतरिती का नाम : (प्रस्तावित अंतरिती का ब्योरा देते हुए नाम और पूरा पता)	
2.	कानूनी रूप / स्थिति :	व्यक्ति / एलएलपी / भागीदारी फर्म / कारपोरेट संस्था / सहकारी समिति / बैंक / वित्तीय संस्था / कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
3.	निगमन की संख्या और दिनांक : (व्यक्ति के मामले में जन्मतिथि)	
4.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) तथा आयकर सर्कल का नाम और पता	
5.	(क) अंतरिती की स्थिति :	निवेशक / प्रवर्तक
	(ख) क्या निवेशक और/या प्रवर्तक अथवा उसकी समूह कंपनी भी किसी बीमा मध्यवर्ती में शेयरधारक हैं। (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
	(ग) क्या निवेशक और / या उसके प्रवर्तक अथवा उसकी समूह कंपनी की किसी अन्य बीमा कंपनी में शेयरधारिता है। (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)	
6.	प्रस्तावित अंतरिती का सहमति पत्र (कारपोरेट संस्था के मामले में अधिग्रहण का अनुमोदन करने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)	
7.	जैसा लागू हो, संबंधित अधिकार-क्षेत्र/क्षेत्र विनियमनकर्ता द्वारा किये गये अपेक्षित अनुमोदनों की प्रतियाँ	
8.	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 2000 (फेमा) के अधीन अपेक्षित अनुमोदनों की प्रतियाँ	
9.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनुमोदनों की प्रतियाँ, यदि कोई हों।	
10.	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए प्रस्तावित अंतरिती का सहमति पत्र	
11.	संशोधित शेयरधारिता के स्वरूप के संबंध में यदि कोई सरोकार हों तो उन्हें निर्दिष्ट करते हुए बीमा कंपनी से पुष्टि (केवल असूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू)	
12.	शेयर जारी करने की अपेक्षा करते हुए आवेदक कंपनी के बोर्ड का संकल्प, यदि लागू हो	

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
13.	<p>योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर)</p> <p>क. प्रस्तावित अंतरिती के विरुद्ध की गई / लंबित दीवानी/आपराधिक/विनियामक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए घोषणा</p>	
	<p>ख. क्या अंतरिती अथवा अंतरिती के निदेशकों को कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस अथवा प्राधिकार देने से कभी इनकार किया गया है (अथवा उसे वापस लिया गया है)</p> <p>(यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण दें)</p>	
	<p>ग. किसी सरकार, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा की गई किसी भी निंदा अथवा प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण</p>	
	<p>घ. क्या किसी सरकारी विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने कभी ऐसी किसी कंपनी, फर्म अथवा संगठन की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ निदेशक और प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हैं।</p> <p>(यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)</p>	
14.	बीमा कंपनी के पास विद्यमान/करने के लिए प्रस्तावित किसी भी करार का विवरण	
15.	<p>हितकारी स्वामित्व के लिए घोषणा :</p> <p>अंतरिती द्वारा घोषणा कि क्या वह शेयरों का धारण अपने स्वयं के हित के लिए करना चाहता है अथवा अन्यो की ओर से नामिती के रूप में, चाहे वह संयुक्त रूप से हो अथवा पृथक् रूप से, तथा नामिती के रूप में धारण करने की स्थिति में हिताधिकारी स्वामी अथवा स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता देते हुए प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा स्पष्ट की जाए।</p>	
16.	जहाँ अंतरण के अनुरोध से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 26 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी, वहाँ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुमोदन की स्थिति प्रस्तुत करें	
17.	"भारतीय स्वाधिकृत और नियंत्रित" के उपबंधों का अनुपालन (इस पर एक संक्षिप्त नोट संलग्न करें)	

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
18.	प्रस्तावित अंतरिती से संबंधित दस्तावेज (जैसा लागू हो) :	<p>क. संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम</p> <p>ख. निदेशकों की सूची</p> <p>ग. साझेदारों की शेयरधारिता का स्वरूप/विवरण</p> <p>घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक</p> <p>ङ. पिछले पाँच वर्षों के लिए वित्तीय विवरण</p> <p>च. पृष्ठभूमि, वित्तीय सुदृढता आदि; के बारे में संक्षिप्त नोट</p> <p>छ. पिछले पाँच वर्षों के लिए आयकर विवरण</p> <p>ज. अन्य संस्थाओं में निदेशन/ साझेदारी/ शेयरधारिता (1 प्रतिशत और उससे अधिक इक्विटी धारिता) का विवरण</p> <p>झ. इस बात की पुष्टि करते हुए स्वयं के द्वारा साक्षात्कृत शपथ-पत्र कि साथ में दिये गये संलग्नकों सहित फार्म ए और बी में प्रस्तुत की गई सूचना सही और पूर्ण है तथा कोई भी बात न तो छिपाई गई है और न ही दबाई गई है।</p> <p>ञ. कोई अन्य सूचना जो संगत समझी गई हो।</p>

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 15th April, 2015

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (TRANSFER OF
EQUITY SHARES OF INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS, 2015**

F. No. IRDA/Reg/3/93/2015.—In exercise of the powers conferred by section 114A read with Section 6A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and with section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(b) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

- (c) **“Transfer of Shares”** includes transfer of shares from existing shareholder to another person and includes transmission and fresh issuance of the equity shares which lead to change in the shareholding pattern of an insurance company;
- (d) **“Shareholding Pattern”** means the shareholding pattern which was approved by the Authority at the time of grant of certificate of registration or at any subsequent time;
- (e) **“Indian promoter”** means a person defined as “Indian Promoter” in the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000;
- (f) **“Investor”** means a person who is otherwise eligible to invest in the equity shares of insurance companies and includes a foreign investor as defined in Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015;
- (g) All words and expressions used herein and not defined in but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in the those Acts.

Chapter II : Transfer of Shares

Registration of Transfer:

3. No registration of transfer of shares or issue of equity capital of an insurance company which would result in change in the shareholding shall be made, where,
- a. after the transfer, the total paid up holding of the transferee in the shares of the insurance company is likely to exceed five percent of its paid up capital, or
 - b. the nominal value of the shares intended to be transferred by any individual, firm, group, constituents of a group, or body corporate under the same management, jointly or severally exceeds one percent of the paid up equity capital of the insurance company, unless the previous approval of the Authority has been obtained for the said transfer.

Application for Transfer:

4. The application seeking prior approval of the Authority under the provisions of Section 6A of the Insurance Act, 1938 shall be made in **Form A**. The Application shall be accompanied by the requisite documents and the details of the transferee as specified in **Form B** providing complete details of the proposed transferee, its financial strength, sources of funds from which the proposed investment is intended to be made, and such other information as may be prescribed by the Authority.

Declaration on Beneficial Shareholding:

5. The application for transfer of shares shall be accompanied by a declaration from the proposed shareholder whether the shares are proposed to be held for his own benefit or as a nominee, whether jointly or severally, on behalf of others and in the latter case giving the name, occupation and address of the beneficial owner or owners, and the extent of the beneficial interest of each.

Due Diligence:

6. The Authority shall carry out the requisite due diligence of the proposed transferee prior to grant of approval for registration of transfer of shares under the provisions of Section 6A (4) of the Insurance Act, 1938, or for issue of shares to the proposed transferee.

Chapter: III : Condition for Approval

Indian Promoters:

7. The Indian promoters shall hold shares in an insurance company as approved by the Authority.
- Provided that the Authority shall, while according its approval, prescribe such conditions on promoters as it may consider appropriate, including but not limited to:
- a. Minimum lock in period;
 - b. Infusion of additional capital in proportion of its shareholding or otherwise, at periodic intervals to ensure that the insurance company is compliant with the regulatory solvency requirements at all times; and

1800-557 15-3

- c. Compliance with all regulatory stipulations imposed on the promoters while granting R3 under the IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 to the said insurance company.

Foreign Investors:

8. The Foreign investors shall hold shares in an insurance company in accordance with the provisions of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.

Provided that the Authority, while according its approval, may prescribe such conditions as it may consider appropriate, including but not limited to:

- a. Minimum lock in period;
 b. Infusion of additional capital in proportion of its shareholding at periodic intervals to ensure that the insurance company is compliant with the regulatory solvency requirements at all times; and
 c. Compliance with all regulatory stipulations imposed on the promoters while granting R3 under the IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 to the said insurance company.

Ceiling on holdings of Indian Investors:

9. The Investors excluding the foreign investors shall hold shares in an insurance company subject to the following conditions
- a. Where there are one or more investors in an insurance company, no investor shall hold shares in an insurance company exceeding ten per cent of the paid up equity share capital of such insurance company.
- b. All investors as indicated at (a) above, jointly shall not hold more than twenty five percent of paid up equity share capital of the insurance company.

Interpretation:

10. The interpretation of these regulations shall be that of the Authority, whose decisions on all issues shall be binding on all applicants.

T. S. VIJAYAN, Chairman
 [ADVT. III/4/ Exty./161/25/15]

FORM A

Application for approval of transfer of the shares in terms of Section 6A of the Insurance Act, 1938

1. In terms of IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000,
 (Name of the insurance company) has been granted Certificate of Registration No..... on (date) to carry on (Life Insurance/ General Insurance/ Health Insurance/ Reinsurance) business.
2. The shareholding of the insurance company at the time of grant of certificate of registration was under

Sl. No.	Promoter / Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding	Lock-in-period (No. of years)	Lock-in period ends on (Date)
	1.				
	2.				
	3.				

3. Post registration of the insurance company, the shares of promoters / investors were transferred in favour of..... post grant of requisite approval of the Authority vide its letter no..... dated..... (where applicable).

While granting approval for transfer of the said shares, the Authority had stipulated a lock in period on the incumbent transferee(s), as per details furnished as under

Sl. No.	Promoter/ Shareholder	No. of shares held	Per cent of total shareholding	Lock-in-period (No. of years)	Lock-in period ends on (Date)

4. The (Name of the Insurance Company) hereby seek approval of the Authority in terms of section 6A (4) (b) (ii) / (iii) of the Insurance Act, 1938 for (i) registration of transfer of shares held by the promoter (s) / investor (s) and / or (ii) allotment of shares on preferential basis through private placement as per details given below :

Sl. No.	Existing Promoter/ Investors	No. of Shares held	Per cent of Existing Shareholding	New Promoter/ Investors	No. of Share held post Transfer/ Allotment	Per cent of Shareholding Post Transfer/ Allotment

On receipt of approval from the Authority, we shall ensure compliance with all regulatory requirements, including but not limited to the Corporate Laws and any other stipulations as may be applicable.

Place:

Date:

(Signature)

Chief Executive Officer/Chairman
(Name of the Insurance Company)

Enclosed: Form B

Form- B

Sl. No.	Particulars	Remarks
1	Name of the Proposed Transferee : (Name and Full address giving the details of the proposed Transferee)	
2.	Legal Form / Status :	Individual / LLP/ Partnership firm / Corporate Entity / Co-operative Society/ Bank/ Financial Institution/ Any other (pl specify)

1800 5/15-4

Sl. No.	Particulars	Remarks
3.	No. and Date of Incorporation : (Date of Birth in case of Individual)	
4.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
5	(a) Transferee status :	Investor/Promoter
	(b) Whether the investor and/or promoter or its group company are also shareholder in an insurance intermediary. (If yes, then please give complete details)	
	(c) Whether the investor and/or its promoter or its group company is having share holding in any other insurance company. (If yes, then please give complete details)	
6	Letter of Consent of proposed Transferee (Please provide copy of Board resolution approving acquisition in case of Corporate entity)	
7.	Copies of requisite approvals by the relevant jurisdiction / sector regulator as applicable	
8.	Copies of requisite approvals under Foreign Exchange Management Act, 2000 (FEMA)	
9.	Copies of requisite approvals, if any under the provisions of Competition Commission of India.	
10.	Letter of Consent of the proposed Transferee confirming compliance with all stipulations as may be laid down by the Authority.	
11.	Confirmation from the insurance company (applicable only in case of unlisted entities) indicating concerns, if any, on the revised shareholding pattern.	
12.	Board Resolution of the applicant company seeking to issue shares, if applicable	
13	Fit and Proper	
	a. Declaration providing details of civil/criminal/regulatory action taken/pending against the proposed transferee	
	b. Whether the transferee or the Directors of the transferee have ever been refused (or had revoked) a license or authorisation to carry on any regulated financial business. (If yes, then please give complete details thereof)	
	c. Details of any censure or disciplinary action initiated by any Government, Regulatory or	

Sl. No.	Particulars	Remarks
	Professional Body.	
	d. Whether any Governmental Regulatory or Professional Body has ever investigated any company, firm or organisation with which the Directors and key persons have been associated as a director, officer, manager or shareholder. <i>(if yes, then provide the complete details)</i>	
14	Details of any Agreement in place / proposed to be entered into with the insurance company.	
15	Declaration for the Beneficial ownership: A declaration by the transferee as to whether he proposes to hold the shares for his own benefit or as nominee, whether jointly or severally, on behalf of others and in the latter case giving the name, occupation and address of the beneficial owner or owners, and the extent of the beneficial interest of each.	
16.	Where the request for transfer will lead to increase in FDI beyond 26 percent then please furnish the status of the approval of Foreign Investment Promotion Board (FIPB)	
17.	Compliance of provisions of "Indian owned and controlled" <i>(please attach a brief note on the same)</i>	
18	Documents pertaining to the proposed Transferee (as applicable):	<ul style="list-style-type: none"> a. Memorandum of Association and Articles of Association b. List of the Directors c. Shareholding pattern / details of partners d. Key Managerial personnel e. Financial statements for the previous five years f. Brief note about the background, financial strength; etc. g. Income tax statements for last five years h. Details of Directorship / Partnership/Shareholding (equity shares holding of one per cent and above) in other entities i. Self Attested Affidavit confirming that the information furnished in Forms A and B alongwith the attachments therewith is correct and complete, and nothing has been concealed or suppressed. j. Any other information, which may be considered relevant.